उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983

(उ0प्र0 अधिनियम संख्या 27, सन् 1983)

THE UTTAR PRADESH RURAL HOUSING BOARD ACT, 1983

(U. P. Act No. 27 of 1983)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1983]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 1997

द्वारा संशोधित

[जैसा उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:——

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार रक्षा के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, उसके द्वारा अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि और छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,——

(क) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् से है ;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है ;

(ग) "आवास योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गयी आवास योजना से है ;

(घ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूमि से सम्बद्ध या भूमि से सम्बद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तु भी है ;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(च) "विहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा विहित से है ;

(छ) "कार्यक्रम" का तात्पर्य धारा 25 के अधीन परिषद् द्वारा तैयार किए गए वार्षिक आवास कार्यक्रम से है ;

(ज) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर, किसी जिले के क्षेत्र से है,——

(एक) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगर,

(दो) संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी),

(तीन) संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित प्रत्येक नोटीफाइड एरिया,

(चार) संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन घोषित और परिभाषित प्रत्येक टाउन एरिया,

(पांच) उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन "विकास क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्र,

(छ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र,

(सात) किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र,

जब तक कि राज्य सरकार उपर्युक्त सुसंगत अधिनियमिति के अधीन सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र या क्षेत्र के भाग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र न घोषित करें ;

(झ) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 40 के अधीन गठित अधिकरण से है ।

अध्याय–दो

परिषद् की स्थापना

ग्रामीण आवास परिषद् स्थापित करने की शक्ति

3–(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायगी ।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी और इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 भी है, प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा ।

परिषद् की संरचना

4–(1) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्——

[1][(क) एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट किया जायगा ; . . . . . . अध्यक्ष]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1997 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) तीन गैर–सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सदस्य नाम–निर्दिष्ट किया जायगा, . . — सदस्य

(ग) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, पदेन, . . — सदस्य

(घ) निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रूड़की (सहारनपुर), पदेन . . . . — सदस्य

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन, — सदस्य

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग, पदेन, — सदस्य

(छ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, संस्थागत वित्त विभाग, पदेन — सदस्य

(ज) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग, पदेन ; — सदस्य

(झ) प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, लखनऊ, पदेन, — सदस्य

(ञ) निदेशक, भवन संगठन, निर्माण–कार्य एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार, पदेन, ... — सदस्य

(ट) मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा, पदेन, — सदस्य

(ठ) ज्येष्ठ वास्तुविद, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, पदेन, — सदस्य

(ड) सलाहकार, प्रोजेक्ट प्लानिंग, उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, पदेन ; — सदस्य

(ढ) ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्, पदेन, — सदस्य

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट अधिकारी परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपने विभाग में अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है । इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी की बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का और मत देने का भी अधिकार होगा ।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का नाम–निर्देशन गजट में अधिसूचित किया जायगा ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् का कोई सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद–त्याग कर सकता है, किन्तु त्याग–पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे स्वीकार न कर लिया जाय ।

सदस्यता के निबन्धन और शर्तें

5–(1) पदेन सदस्य से भिन्न प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष होगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचित आदेश से, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय ।

(2) परिषद् के सदस्यों को ऐसा भत्ता दिया जायगा जैसा विहित किया जाय ।

(3) इस धारा के अधीन देय भत्तों का भुगतान परिषद् की निधि से किया जायगा ।

अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति को भरने की शक्ति

6–(1) जब अध्यक्ष के पद में अस्थायी रिक्ति हो, तब राज्य सरकार ऐसी रिक्ति की अविध में किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकती है, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष समझा जायगा ।

(2) यदि अध्यक्ष से भिन्न परिषद् का कोई सदस्य अशक्तता के कारण या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय या छुट्टी पर होने या ऐसे किसी अन्य कारण से जिससे उसकी सदस्यता समाप्त न हो, अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर कार्य करने और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किसी नियम या विनियम के अधीन उसके कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त कर सकती है ।

सदस्यता के लिये अनर्हता

7–(1) कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह,–

(क) धारा 5 और 6 में की गई व्यवस्था को छोड़कर, परिषद् के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो ;

(ख) विकृत चित्त का हो ;

(ग) अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(घ) नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ;

(च) किसी ऐसी निगमित कम्पनी का, जिसका परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित हो, निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी हो ।

(2) कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसका या उस निगमित कम्पनी का जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य वैतनिक अधिकारी है,

(क) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय या उसके लिये किए गए किसी करार में,

(ख) धन के ऋण के लिए किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में,

(ग) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें परिषद् के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है,

(घ) परिषद् को किसी एक वर्ष में दस हजार रूपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित व्यापार करती है, यदा–कदा बिक्री में, कोई अंश या हित है, उपधारा (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन अनर्हित नहीं होगा या यह नहीं समझा जायगा कि उक्त खण्डों के अर्थान्तर्गत किसी संविदा या सेवायोजन में उसका कोई अंश या हित है ।

स्पष्टीकरणः—किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी का अंशधारी है, जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायगा कि उसका परिषद् के साथ, या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है ।

परिषद् की कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता

8—(1) परिषद् का या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित है, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से, जिसका उसमें उपर्युक्त प्रकार का कोई अंश या हित है, व्यावसायिक रूप से कार्य किया है,

धारा 7 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की या उसकी समिति की ऐसे मामले से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा ।

(2) यदि परिषद् या उसकी समिति के किसी सदस्य का इस अधिनियम के अधीन बनायी गई किसी भी योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में या ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कोई हित है तो वह परिषद् या उसकी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी मामले पर विचार किया जाय, भाग नहीं लेगा ।

कतिपय कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

9—परिषद् के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की किसी अनर्हता या दोष से या परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष होने से परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही दूषित या अविधिमान्य नहीं होगी यदि ऐसा कार्य या कार्यवाही अन्य प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो ।

ग्रामीण आवास आयुक्त

10—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक ग्रामीण आवास आयुक्त होगा ।

(2) ग्रामीण आवास आयुक्त की सेवा—शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें। उसे परिषद् की निधि से पारिश्रमिक दिया जायेगा ।

परिषद् के अधिकारी और सेवक

11—(1) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष या सामान्य आदेश से समय—समय पर आरोपित किया जाय, परिषद् अपने कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए ऐसे अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और सेवकों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें ।

(3) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने अधीन किसी पद पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी सम्मत हो, नियुक्त कर सकती है ।

परिषद् के कर्मचारियों पर नियंत्रण

12—इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ग्रामीण आवास आयुक्त परिषद् के सभी अधिकारियों और सेवकों या पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

13–(1) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के या ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन करने की शर्तें भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति या ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(2) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ग्रामीण आवास आयुक्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के या ऐसी शर्तों पर जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, परिषद् के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियां और कर्तव्य न हो, प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

अध्याय–तीन

आवास योजना

आवास योजना बनाना

14–(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में गृह–स्थान की कमी को पूरा करने के लिये ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो परिषद् आवास योजना बना सकती है ।

(2) ऐसी योजना में इसका विन्यास विनिर्दिष्ट किया जायगा जहां पर गृह–निर्माण किया जाना हो और उसमें परिषद् और अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह–निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है ।

(3) परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार निर्मित किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या उसका विक्रय कर सकती है जिसके अन्तर्गत अवक्रय (हायर परचेज) भी है ।

(4) परिषद् उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, जलोत्सारण, जल–सम्भरण, सड़कों पर रोशनी, सामुदायिक भवनों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है ।

योजना में ग्रामीण क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों का सम्मिलित किया जाना

15–यदि परिषद् किसी ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्ध में आवास योजना बनाते समय, योजना के अधीन गृह–निर्माण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी क्षेत्र को, जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आसन्न है किन्तु जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, योजना में सम्मिलित करना आवश्यक समझती है तो, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे सक्षम प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में ऐसी भूमि पड़ती है, परामर्श करने के पश्चात् ऐसी भूमि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र घोषित कर सकती है और ऐसी घोषणा के पश्चात् ऐसे क्षेत्र को योजना में सम्मिलित करना परिषद् के लिए विधिपूर्ण होगा ।

विषय जिनकी व्यवस्था आवास योजना में की जायगी

16–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी आवास योजना में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :–

(क) योजना के लिए आवश्यक या उसके निष्पादन से प्रभावित होने वाली किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से अर्जन ;

(ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का विन्यास या पुनर्विन्यास ;

(ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण का पुनर्वितरण ;

(घ) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त निवास स्थानों या निवास स्थानों के भागों को गिराना या हटाना ;

(ङ) प्रस्तावित विन्यास में बाधा डालने वाले भवनों या भवनों के भागों को गिराना;

(च) भवनों का निर्माण या पुनर्निर्माण ;

(छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय (जिसके अन्तर्गत अवक्रय भी है) पट्टे पर देना या विनिमय ;

(ज) मार्गों, सड़कों, गलियों, पुलों, पुलियों और उपसेतुओं का निर्माण या उनमें परिवर्तन ;

(झ) योजना में सम्मिलित क्षेत्र में जलोत्सारण, जल सम्भरण या रोशनी की व्यवस्था ;

(ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के या किसी मिले हुए क्षेत्र के लाभार्थ दुकानों, विद्यालयों, पार्कों, खेल के मैदानों और खुले स्थानों की व्यवस्था और वर्तमान पार्कों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और उपमार्गों को विस्तृत करना ;

(ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई का प्रबन्ध करना, जिसके अन्तर्गत नदियों या जल सम्भरण के अन्य स्त्रोतों और साधनों का संरक्षण और उन्हें क्षति पहुंचने या दूषित होने से बचाना भी है ;

(ठ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों के सदस्यों, सामाजिक और शैक्षिक, रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों, कृषि श्रमिकों, आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के व्यक्तियों और किसी अन्य वर्ग के निवासियों के लिये आवास स्थान ;

(ड) योजना के प्रयोजनों के लिए ऋण देना ;

(ढ) संचार और परिवहन सम्बन्धी सुविधाएं ;

(ण) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना और आंकड़ें एकत्र करना ;

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

आवास योजनाओं पर निर्बन्धन

17–(1) धारा 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी क्षेत्र के लिये जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन कोई आवास या सुधार योजना स्वीकृत की गई है, न तो कोई आवास योजना बनायी जायगी और न ऐसी आवास योजना मे कोई ऐसी बात होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी नगर नियोजन योजना में सम्मिलित किन्हीं विषयों से असंगत हो ।

(2) यदि कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो कि इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी आवास योजना में ऐसा कोई क्षेत्र सम्मिलित है जो किसी आवास या सुधार योजना में सम्मिलित है या उसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी नगर नियोजन योजना में सम्मिलित किसी विषय से असंगत कोई बात है, तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

आवास योजनाओं के लिये नोटिस

18–(1) जब कोई आवास योजना बना ली जाय, तब परिषद् इस आशय की एक नोटिस तैयार करेगी जिसमें निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जायेगी :––

(क) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमा ;

(ख) दिनांक, समय और स्थान, जब और जहां पर क्षेत्र का नक्शा, योजना की विशिष्टियां और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का ब्योरा देखा जा सकता है ; और

(ग) दिनांक जब तक योजना के सम्बन्ध में आपत्तियां की जा सकती है ।

(2) परिषद्––

(क) उक्त नोटिस को लगातार तीन सप्ताह तक, प्रत्येक सप्ताह–(एक) गजट में और (दो) ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार–पत्र होगा, प्रकाशित करायेगी, जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचालन हो; और

(ख) उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजेगी जिनकी अधिकारिता के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो ।

(3) ग्रामीण आवास आयुक्त उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि किसी भी आवेदक को ऐसी फीस का जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, भुगतान करने पर दिलायेगा ।

प्रस्तावित अर्जन का नोटिस

19–किसी आवास योजना के सम्बन्ध में धारा 18 के अधीन किसी नोटिस के पहली बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर परिषद् ऐसे प्रपत्र में, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गो पर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, नोटिस तामील करेगी जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि परिषद् योजना के निष्पादन के लिये किसी विनिर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन करने का प्रस्ताव करती है ।

आपत्तियां

20–(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी जिसे धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नोटिस की एक प्रतिलिपि भेजी गयी हो, नोटिस की प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर योजना के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) कोई व्यक्ति जिस पर धारा 19 के अधीन नोटिस तामील की गयी हो, नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसके लिए परिषद् पर्याप्त कारण से अनुमति दे, योजना या प्रस्तावित अर्जन के विरूद्ध परिषद् को लिखित आपत्ति कर सकता है ।

(3) कोई अन्य व्यक्ति धारा 18 के अधीन नोटिस मे विनिर्दिष्ट समय के भीतर योजना के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

योजना का परित्याग, उपान्तर या स्वीकृति

21–(1) पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद्, यथा सम्भव, ऐसी अन्तिम आपत्ति की प्राप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर या तो योजना का परित्याग कर सकती है या उसे ऐसे उपान्तर सहित, यदि कोई हो, जैसा परिषद् सुझाव दे, स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी योजना को उपान्तर सहित या उपान्तर रहित, स्वीकृत कर सकती है, या स्वीकृत करने से इन्कार कर सकती है या उसे पुनर्विचार के लिये वापस कर सकती है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन पुनर्विचार के लिये वापस की गयी योजना में परिषद् द्वारा उपान्तर कर दिया जाय तो उसे धारा 18 के अनुसार पुनः प्रकाशित किया जायगा,——

(क) यदि उपान्तर के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता है या उसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि या भवन को अर्जित करना अन्तर्ग्रस्त है ; या

(ख) यदि परिषद् की राय में उपान्तर इतना महत्वपूर्ण है कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित है,

तो इस प्रकार पुनः प्रकाशित किए जाने पर, धारा 19 और धारा 20 में विहित प्रक्रिया का, जहां तक प्रयोज्य हो, अनुसरण किया जायगा मानों पुनः प्रकाशन धारा 18 के अधीन किया गया मूल प्रकाशन है ।

योजना का प्रारम्भ

22–(1) जब कभी राज्य सरकार किसी आवास योजना को स्वीकृत करे, तब उसे गजट में अधिसूचित किया जायगा ।

(2) किसी योजना के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना इस बात की निश्चायक साक्ष्य होगी कि योजना सम्यक् रूप से बनायी और स्वीकृत की गयी है ।

(3) योजना उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

योजना में परिवर्तन

23–(1) किसी आवास योजना के प्रवृत्त होने के पश्चात् और उसके पूर्णरूप से निष्पादित किए जाने के पूर्व, किसी भी समय परिषद उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, उसमें परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है

परन्तु–

(क) किसी आवास योजना में कोई ऐसा परिवर्तन करने के पूर्व जिसमें किसी भूमि या भवन का जिसे मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, करार से भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, तो परिषद् प्रस्तावित परिवर्तन की एक नोटिस ऐसे प्रपत्र में, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गो पर और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाय, तामील करेगी, और नोटिस तामील किए जाने के दिनांक से तीस दिन या ऐसी बढ़ायी गयी अवधि के जिसके लिये परिषद् पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, भीतर नोटिस के अनुसरण मे प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देगी ;

(ख) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी योजना में परिवर्तन या उसे निरस्त नहीं किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी योजना में कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में अधिसूचित किया जायगा और वह ऐसी अधिसूचना के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी ऐसे उपान्तर का मूल योजना के अधीन पहले से की गयी किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

योजना के लिए प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन

24–(1) जहां किसी आवास योजना के सम्बन्ध में धारा 18 के अधीन कोई नोटिस प्रकाशित की गई हो, वहां कोई व्यक्ति, जब तक कि योजना परित्यक्त या स्वीकृत न कर दी जाय, और यदि योजना प्रवृत्त हो गयी हो तो उसके प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के दौरान योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण,

पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन या अन्य प्रकार से भूमि का विकास योजना के विरूद्ध और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तो के प्रतिकूल जिन्हें ग्रामीण आवास आयुक्त इस निमित्त अनुज्ञा के लिये आवेदन–पत्र दिए जाने पर आदेश द्वारा आरोपित करे, नहीं करेगा । **निर्माण पर निर्बन्धन**

(2) ग्रामीण आवास आयुक्त के उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा न देने या निर्बन्धन या शर्ते आरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया जाए, परिषद् की अपील कर सकता है जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

वार्षिक बजट और आवास कार्यक्रम

25–(1) प्रत्येक वर्ष पहली दिसम्बर से पूर्व परिषद्–

(एक) एक कार्यक्रम,

(दो) अगले वर्ष का बजट,

ऐसे प्रपत्र में जैसा विहित किया जाय, तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी ।

(2) कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें होंगी :–

(क) ऐसी आवास योजना की, जिसे परिषद् अगले वर्ष आंशिक या पूर्ण रूप से निष्पादित करने का प्रस्ताव करे, ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जायं ;

(ख) ऐसे किसी उपक्रम की विशिष्टियां जिन्हें परिषद् भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के प्रयोजनार्थ अगले वर्ष के दौरान संगठित या निष्पादित करने का प्रस्ताव करें ; और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की जायं ।

(3) गजट में ऐसा विवरण होगा जिसमें अगले वर्ष के लिए पूंजीगत और राजस्व लेखे पर अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाया जायगा ।

कार्यक्रम और बजट का स्वीकृत किया जाना

26–राज्य सरकार भेजे गए कार्यक्रम और बजट को ऐसे उपान्तर के साथ जैसा वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है । इस प्रकार स्वीकृत कार्यक्रम और बजट को उनके स्वीकृत किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

अनुपूरक कार्यक्रम और बजट

27–परिषद् उस वर्ष के दौरान जिसके सम्बन्ध में धारा 26 के अधीन कोई कार्यक्रम स्वीकृत किया गया हो, किसी भी समय, राज्य सरकार को अनुपूरक कार्यक्रम और बजट प्रस्तुत कर सकती है और धारा 25 के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक कार्यक्रम और बजट पर लागू होंगे ।

कार्यक्रम में परिवर्तन

28–परिषद् किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी कार्यक्रम या उसके किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है :

परन्तु ऐसा परिवर्तन जिसमें ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित किसी आवास योजना के कार्यक्षेत्र या प्रयोजन पर प्रभाव पड़ें, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा और धारा 26 के उपबन्ध ऐसे परिवर्तन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आवास योजना का निष्पादन

29–(1) धारा 26 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम स्वीकृत किए जाने के पश्चात्, परिषद् धारा 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यक्रम में सम्मिलित आवास योजना को निष्पादित करने की कार्यवाही करेगी ।

(2) परिषद् किसी आवास योजना में दिए गए किसी कार्य का निष्पादन किसी स्वतन्त्र अभिकरण के माध्यम से कर सकती है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह परिषद् को किसी आवास योजना के निष्पादन में, यथास्थिति, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सहमति से उक्त सरकार या प्राधिकारी के किसी अभिकरण को नियोजित करने से निषिद्ध करती है ।

परिषद् में गांव सभा की भूमि का निहित होना

30–(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या उसमें निहित कोई सड़क, स्क्वायर या अन्य भूमि या उसका भाग राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी आवास योजना में सम्मिलित क्षेत्र में स्थित हो, और ऐसी योजना के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हो, वहां परिषद्, यथास्थिति ऐसी गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को यह नोटिस देगी कि उसकी योजना के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है ।

(2) यदि गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी सहमति दे तो ऐसी सड़क, स्क्वायर या अन्य भूमि या उसका भाग ऐसी सहमति के दिनांक से परिषद् में निहित हो जायगा ।

(3) यदि गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी सहमति न दे तो यह विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का विनिश्चिय अन्तिम होगा ।

(4) इस धारा की किसी बात का प्रभाव ऐसी सड़क, स्क्वायर या भूमि में किसी नाली या जल–कल पर गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार या शक्ति पर नहीं पड़ेगा।

प्रतिकर कब देय होगा

31–(1) जहां कोई भूमि धारा 30 के अधीन परिषद् में निहित है और परिषद् यह घोषणा करे कि वह ऐसी भूमि को तब तक प्रतिधृत करेंगी जब तक वह धारा 34 के अधीन किसी सड़क या खुली जगह के भाग के रूप में सम्बद्ध गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी में पुनः निहित नहीं हो जाती, वहां ऐसी भूमि के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा कोई प्रतिकर देय नहीं होगी ।

(2) जहां कोई भूमि धारा 30 के अधीन परिषद् में निहित है और भूमि के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा न की जाय, वहां परिषद् सम्बद्ध गांव सभा या स्थानीय प्राधिकारी को भूमि के बाजार मूल्य के बराबर धनराशि प्रतिकर के रूप में देगी ।

(3) जहां परिषद् ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के सम्बन्ध में घोषणा की है और परिषद् घोषणा के निबन्धनों के प्रतिकूल भूमि को इस प्रकार प्रतिधारित करती है या उसका निस्तारण करती है कि भूमि गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी में पुनः निहित न हो, वहां परिषद् उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर देगी ।

परिषद् में निहित सार्वजनिक सड़क को मोड़ने या बन्द करने की परिषद् की शक्ति

32–(1) परिषद् किसी सार्वजनिक सड़क जो उसमें निहित हो उसकी या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, पथान्तर कर सकती है, सार्वजनिक उपयोग रोक सकती है या स्थायी रूप से बन्द कर सकती है ।

(2) जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सार्वजनिक सड़क या उसके किसी भाग को सार्वजनिक उपयोग के लिये रोक दे या स्थायी रूप से बन्द कर दे, तो वह, यथा साध्य, उसके बदले में पहुंचने के किसी अन्य युक्तियुक्त साधन की व्यवस्था करेगी

और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो जन–समुदाय के एक सदस्य मात्र से भिन्न रूप में पहुंचने के साधन के रूप में ऐसी सड़क या भाग का उपयोग करने के लिये हकदार है और जिसे इस प्रकार रोकने या बन्द करने के कारण क्षति हुई है, युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान करेगी ।

(3) जब परिषद् में निहित कोई सार्वजनिक सड़क या उसका कोई भाग उपधारा (1) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाए,तब परिषद् उसका उतना भाग जिसकी उसे कोई आवश्यकता न हो, बेच सकती है या पट्टे पर दे सकती है ।

कतिपय विवाद अधिकरण को निर्देश करना

33–यदि धारा 31 या धारा 32 के अधीन किसी प्रतिकर की देयता या उक्त धाराओं के अधीन देय प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो इस मामले को अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

गांव सभा में कतिपय सड़कों और खुले स्थानों का निहित होना

34–(1) जब कभी राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि,––

(क) धारा 21 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना में यथा व्यवस्थित रीति से परिषद् द्वारा विन्यासित या परिवर्तित किसी सड़क को सम्यक् रूप से समतल कर दिया है, खड़ंजा बिछा दिया गया है, पक्का बना दिया गया है, सीमाबद्ध कर दिया गया है, नाली, मल–वहन और जल–निकासी की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ख) ऐसे लैम्प, रोशनी के खम्भों और अन्य उपकरणों की जिन्हें गांव सभा ऐसी सड़कों पर रोशनी के लिये आवश्यक समझे और जिनकी परिषद् द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए, व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) ऐसी सड़क पर जल और अन्य स्वच्छता सुविधाओं की सम्यक् रूप से व्यवस्था कर दी गई है,

तब राज्य सरकार ऐसी सड़क को सार्वजनिक सड़क घोषित कर सकती है और तदुपरान्त सड़क गांव सभा में निहित हो जायगी और उसके पश्चात् ऐसी गांव सभा द्वारा उसका अनुरक्षण, मरम्मत, प्रकाश और सफाई की जायगी ।

(2) जब किसी आवास योजना का निष्पादन करते समय परिषद् द्वारा संवातन या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिये किसी खुले स्थान की व्यवस्था की गयी हो, तब योजना पूरी होने पर, उसे परिषद् के संकल्प द्वारा सम्बद्ध गांव सभा को अन्तरित कर दिया जायगा, और तदुपरान्त यह ऐसी गांव सभा में निहित हो जायगा और उसके व्यय पर उसका अनुरक्षण किया जायगा ।

(3) यदि इस धारा में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिषद् और गांव सभा के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

परिषद् के अन्य कर्तव्य

35–परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह भवनों का शीघ्र और सस्ता निर्माण करने की दृष्टि से कार्यवाही करें, और परिषद् इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित के लिये सभी कुछ कर सकती है ;

(क) भवन निर्माण सामग्रियों का एकीकरण, सरलीकरण और मानकीकरण करना;

(ख) गृह संघटक वस्तुओं की पूर्व गढ़ाई (प्री–फैब्रीकेशन) और बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना ;

(ग) आवास योजनाओं के लिए अपेक्षित भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन की सुव्यवस्था करना या उत्तरदायित्व लेना ;

(घ) सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों की खोज करने के लिये अनुसंधान–कार्य को प्रोत्साहित करना और सस्ते निर्माण की नई विधियों का विकास करना ;

(ङ) भवनों के निर्माण–कार्य में प्रशिक्षित श्रमिकों की लगातार और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना ;

(च) पूर्व उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के लिये यथा–आवश्यक समस्त अन्य कार्य करना ।

भू–खण्ड का पुनर्गठन

36–परिषद् को निम्नलिखित की व्यवस्था करने की शक्ति होगी––

(क) किसी मूल भू–खण्ड की सीमा में परिवर्तन करके पुनर्गठित भू–खण्ड बनाना;

(ख) स्वामियों की सहमति से, दो या अधिक मूल भू–खण्ड जिनमें से प्रत्येक पर अलग–अलग या संयुक्त रूप से स्वामित्व हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करके या परिवर्तन किए बिना पुनर्गठित भू–खण्ड के रूप में सामान्य स्वामित्व में रखे जायेंगे ;

(ग) किसी ऐसे स्वामी को जो आवास योजना के कार्यान्वयन में भूमि से वंचित हो गया हो भू–खण्ड का आबंटन करना ; और

(घ) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी भू–खण्ड के स्वामित्व का अन्तरण करना ।

अध्याय—चार

भूमि का अर्जन और निस्तारण

करार द्वारा क्रय करने या पट्टे पर देने की शक्ति

37–(1) परिषद् किसी व्यक्ति से ऐसी किसी भूमि का जिसकी किसी आवास योजना के प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हो या ऐसी भूमि में किसी हित का क्रय करके, पट्टे पर लेकर या वित्तिमय द्वारा अर्जन करने के लिये या उसके किसी स्वामी को उससे वंचित रखने या उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में किसी ऐसे अधिकार की क्षतिपूर्ति के लिये उससे करार कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये परिषद् द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी हित को भी उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया जा सकता है ।

अधिनियम संख्या 1 सन् 1894

भूमि आदि का निस्तारण करने की शक्ति

38–इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद् अपने में निहित और इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी आवास योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित किसी भूमि, भवन या अन्य सम्पत्ति को प्रतिसारित कर सकती है, पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है, विनिमय कर सकती है या उसका अन्य प्रकार से निस्तारण कर सकती है ।

भू–खण्डों के पुनर्गठन के संबंध में विवाद

39–(1) जहां किसी आवास योजना के निष्पादन के फलस्वरूप किसी भू–खण्ड का पुनर्गठन किया जाय या किसी व्यक्ति को किसी भूमि से बेदखल किया जाय, वहां ऐसे पुनर्गठन या बेदखली से प्रभावित कोई व्यक्ति प्रतिकर के लिये विहित रीति से परिषद् को आवेदन कर सकता है ।

(2) परिषद् ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आवेदक को देय प्रतिकर की धनराशि, यदि कोई हो, अवधारित कर सकती है ;

(3) यदि आवेदक उपधारा (2) के अधीन परिषद् के विनिश्चय से असंतुष्ट हो तो वह अधिकरण को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, अपील कर सकता है ।

(4) परिषद्, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति को करेगा जिसे उसका हकदार पाया जाय।

अध्याय—पांच

अधिकरण

अधिकरण के गठन

40–(1) प्रत्येक जिले का जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिकरण का गठन करेगा ।

(2) अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए ।

(3) किसी धनराशि का भुगतान करने या किसी स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने या ऐसी सम्पत्ति से किसी संरचना को हटाने का अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और इस रूप मे ंउसका निष्पादन किया जायगा ।

(4) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा ।

(5) अधिकरण का सदस्य ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जैसा विहित किया जाय ।

अधिकरण के कर्तव्य

41–अधिकरण धारा 31 और 32 के अधीन देय प्रतिकर से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों और धारा 39 के अधीन प्रस्तुत समस्त अपीलों का विनिश्चय करेगा और अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अधिकरण की शक्ति

42–इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी अपील की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिये अधिकरण को वही शक्तियां होगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं :––

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ग) किसी भवन या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करना या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करना ;

(घ) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ङ) विधिपूर्ण करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तद्नुसार आदेश देना ;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

अध्याय—छः

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

वित्तीय उपबन्ध

43–(1) परिषद् की अपनी निधि होगी जिसे स्थानीय निधि समझा जायगा और जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि जमा की जायेगी ।

(2) परिषद् की निधि भारतीय स्टेट बैंक में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह परिषद् को ऐसी नकद धनराशि रखने से जो चालू भुगतान के लिये आवश्यक हो, या निधि के किसी ऐसे भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजित करने से प्रचारित करती है ।

(3) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाये, परिषद् समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऋण ले सकती है या वित्तीय प्रबन्ध कर सकती है ।

(4) ऐसी शर्तों और परिसीमाओ के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जायें, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी, किसी सहकारी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को गृह–निर्माण के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें यह अवधारित करे, ऋण और अग्रिम दे सकती है ।

ऋण–पत्र

44–(1) परिषद् समय–समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसी धनराशि के लिये और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, ऋण–पत्र जारी कर सकती है ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किन्हीं भी ऋण–पत्रों के मूलधन और ब्याज या मूलधन या ब्याज के भुगतान की ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकती है :

परन्तु राज्य सरकार जब तक कोई ऐसी प्रत्याभूति प्रवृत्त हो, प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में, दी गयी प्रत्याभूतियों का, यदि कोई हो, एक विवरण–पत्र और उन कुल धनराशियों का, यदि कोई हो, एक अद्यावधिक लेखा रखेगी जिनका भुगतान किन्हीं ऐसी प्रत्याभूतियों के कारण राज्य से किया गया हो या जिन का भुगतान इस प्रकार दी गयी किसी धनराशि का प्रतिदान करने के लिये राज्य के राजस्व में किया गया हो ।

(3) इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा जारी किए गए ऋण–पत्र ऐसी रीति से जारी किए जायेंगे, अन्तरित किए जायेंगे, उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और उनका मोचन किया जायगा, जैसी विहित की जाय ।

ऋण का प्रतिदान

45–(1) परिषद् अपने द्वारा लिए गए किसी ऋण के प्रतिदान के लिए ऐसी रीति जैसी विहित की जाय, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगी ।

(2) प्रत्येक ऐसी निक्षेप निधि का अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग ऐसी रीति से किया जायगा जैसी विहित की जाय ।

(3) परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये और उस ऋण के प्रतिदान के लिए जिसके लिये निधि की स्थापना की गयी थी, विहित रीति से न्यास का सृजन कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाय तो वह सृजन करेगी ।

सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

46–राज्य सरकार, समय–समय पर, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करें, इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिये परिषद् को अनुदान या ऋण दे सकती है ।

आवर्तक निधि

47–(1) परिषद् के लिये एक ऐसी परिक्रामी निधि का सृजन करना विधिपूर्ण होगा जिसमें ऐसे समस्त आगम जमा किए जायेंगे जो किसी आवास योजना के अधीन परिषद् द्वारा निर्मित या पुनर्निमित किसी भवन या उसमें किसी इकाई के किस्त के आधार पर बिक्री के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त हो ।

(2) आवर्तक निधि किसी आवास योजना के अधीन भवनों के निर्माण या पुनर्निमाण के प्रयोजनों के लिये ही रखी जायेगी और उसका प्रयोग किया जायगा ।

लेखा और लेखा–परीक्षा

48–(1) ग्रामीण आवास आयुक्त परिषद् के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व होने वाली विशेष बैठक में उस वर्ष के लिये परिषद् का बजट रखेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा बजट ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायगा जैसा विहित किया जाय, और उसमें––

(एक) ऐसी आवास और सुधार योजना, जिन्हें परिषद् उस वर्ष में आंशिक या पूर्णरूप में निष्पादित करने का प्रस्ताव करती है,

(दो) परिषद् के समस्त दायित्वों को सम्यक् रूप से पूरा करने, और

(तीन) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन,

के लिये व्यवस्था की जायगी और उसमें एक ऐसा विवरण–पत्र होगा जिसमें उस वर्ष के लिये, पूंजीगत और राजस्व लेखे पर अनुमानित प्राप्तियां और व्यय, और ऐसी अन्य विशिष्टियां दी जायेंगी जैसी विहित की जायें ।

(3) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे उपान्तर सहित या उसके बिना स्वीकृत करेगी और उसे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी ।

(4) राज्य सरकार परिषद् द्वारा यथा स्वीकृत बजट का या तो अनुमोदन कर सकती है, या उसे परिषद् को ऐसे उपान्तरों के लिये जैसा राज्य सरकार निदेश दे, वापस कर सकती है ।

(5) जहां बजट इस प्रकार वापस कर दिया जाय वहां परिषद् तुरन्त ऐसे उपान्तर करेगी और इस प्रकार यथा उपान्तरित बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जो तत्पश्चात् उसका अनुमोदन कर सकती है ।

(6) ग्रामीण आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का अनुमोदन कर दिया गया है, किसी भी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकता है और ऐसे अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(7) परिषद् ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, लेखा रखेगी और तुलन–पत्र तैयार करेगी ।

(8) परिषद् के लेखे की लेखा–परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायगी जैसी विहित की जाय और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक

को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने और सूचना दिए जाने की अपेक्षा करने की ऐसी शक्ति और परिषद् की निधि या सम्पत्ति को अध्यक्ष, ग्रामीण आवास आयुक्त और परिषद के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों की उपेक्षा या उनके दुराचरण के कारण हुई हानि अपव्यय या पुर्नविनियोग के लिए उनके विरुद्ध अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियां होगी, और अधिभार और अधिभारित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, जैसी विहित की जाय और उनके अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी अपील ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय ।

(9) लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् का लेखा और उसके सम्बन्ध में लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे अनुदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे, और परिषद् ऐसे अनुदेशों का पालन करेंगी ।

(10) राज्य सरकार––

(क) उपधारा (9) के अधीन प्राप्त परिषद् का लेखा और उनके सम्बन्ध में लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ; और

(ख) परिषद् के लेखे को विहित रीति से प्रकाशित करायेगी और युक्तियुक्त मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध करायेगी ।

अध्याय––सात

संविदा

संविदा करने की शक्ति

49–परिषद् ऐसी समस्त संविदाएं कर सकती है और उनका निष्पादन कर सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन समझे ।

संविदाओं का निष्पादन

50–(1) परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा या सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण–पत्र लिखित रूप में होगा और उसका निष्पादन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में किया जायगा जैसा विहित किया जाय :

परन्तु पच्चीस हजार रूपये या इससे अधिक व्यय वाली कोई संविदा परिषद् की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं की जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी संविदा या प्राक्कलन में किए गए प्रत्येक परिवर्तन या उसका परित्याग करने पर और किसी मूल संविदा या प्राक्कलन पर भी लागू होंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् की ओर से किसी करार या अन्य लिखत का निष्पादन करने के लिये प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे करार या लिखत की रजिस्ट्री से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हो या हस्ताक्षर करें जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित है :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसे ऐसा लिखत प्रस्तुत किया जाय, यदि वह उचित समझे तो लिखत के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसे ग्रामीण आवास आयुक्त या ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है और उसके निष्पादन के सम्बन्ध में समाधान हो जाने पर, उस लिखत का रजिस्ट्रीकरण करेगा ।

संविदा के संबंध में शक्ति का प्रत्यायोजन

51–ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, परिषद् आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि धारा 50 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा ।

संविदा के निष्पादन के संबंध में अग्रतर उपबन्ध

52–कोई संविदा या सम्पत्ति का हस्तांतरण–पत्र जो कि इस अध्याय और इसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के अनुसार निष्पादित न हो, परिषद् पर बाध्यकारी न होगा ।

अध्याय—आठ

अपराध और शास्तियां

संविदाकार के कार्य में रूकावट डालने या चिन्ह हटाने के लिये शास्ति

53–यदि कोई व्यक्ति––

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ परिषद् ने संविदा किया है, अपने कर्तव्य या किसी ऐसे काम का पालन या निष्पादन करने में रूकावट डाले या उत्पीड़ित करें जिसे इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के आधार पर या परिणामस्वरूप करने के लिये वह अधिकृत है या करने की उससे अपेक्षा की गयी है, या

(ख) किसी सतह या दिशा को इंगित करने के प्रयोजनों के लिये लगाए गए किसी ऐसे चिन्ह को हटाए जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम द्वारा प्राधिकृत निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक है ;

तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या जुर्माना से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

परिषद् के साथ संविदा आदि में अंश या हित अर्जित करने के लिए शास्ति

54–यदि अध्यक्ष या परिषद् का कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में अर्थ सम्बन्धी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित अर्जित करे, जो ऐसा अंश या हित हो जो अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित करता हो ; या

यदि परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा में, या, जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसे अधिकारी या सेवक के रूप में उसके सेवायोजन से है उसे छोड़कर, किसी सेवायोजन में धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में उल्लिखित अंश या हित से भिन्न अर्थ सम्बन्धी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित अर्जित करें, तो वह साधारण कारावास से जिनकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अन्य मामलों में शास्ति

55–यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिये कोई

अन्य शास्ति की व्यवस्था न हो जुर्माना से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा, और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें प्रथम बार सिद्ध–दोष ठहराए जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पच्चीस रुपये तक हो सकता है ।

अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व

56–(1) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया जाय, तब ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय परिषद् द्वारा इस निमित्त आवेदन–पत्र दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति से तुरन्त यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वह अपने द्वारा किये गये कार्य से हुई क्षति के लिये जिसके सम्बन्ध में वह सिद्धदोष ठहराया गया है, परिषद् को प्रतिकर का भुगतान करें ;

(2) न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी कारण पर विचार करेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे यह उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि एक हजार रूपये से अनधिक ऐसे प्रतिकर का, जैसा वह अवधारित करे, भुगतान परिषद् को किया जाय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन भुगतान किए जाने के लिए निर्देशित प्रतिकर की धनराशि जुर्माना के रूप मे वसूल की जा सकेगी ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

57–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा है, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा, और तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये पूर्ण रूपेण सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां ऐसे प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा ।

<u>स्पष्टीकरण</u>:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

प्रक्रिया

58–(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान अपराध किये जाने से छः मास के भीतर परिषद् या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा परिवाद किये जाने के या उससे सूचना प्राप्त हुए बिना नहीं करेगा ।

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य

59–प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह––

(क) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित और प्रवर्तित करने के लिए ग्रामीण आवास आयुक्त को सहयोग दे ;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम के उपबन्धों के विरूद्ध किये जाने वाले या किये गये किसी अपराध की कोई सूचना जो उसे प्राप्त हो, परिषद् के समुचित अधिकारी या सेवक को अविलम्ब दें ; और

(ग) ग्रामीण आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को ऐसी सहायता दें जिसकी वह इस अधिनियम या किसी नियम के अधीन ग्रामीण आवास आयुक्त या किसी ऐसे अधिकारी या सेवक में निहित किसी शक्ति का विधिसंगत प्रयोग करने के लिये उससे अपेक्षा करें ।

अपराधों का शमन

60–(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा या ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें, यथास्थिति, ग्रामीण आवास आयुक्त या अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जा सकता है ।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया गया हो, वहां अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, यथास्थिति, उन्मोचित या दोष मुक्त कर दिया जायगा और शमनित अपराध के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी ।

अध्याय––नौ

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 सन् 1966 के कतिपय उपबन्धों की प्रयोज्यता

61–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 83 से 93 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन गठित परिषद् और उसके सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रथम उल्लिखित अधिनियम के अधीन गठित आवास एवं विकास परिषद् और उनके सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों पर लागू होते है ।

नियम बनाने की शक्ति

62–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की आवश्यकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो ;

(ख) ग्रामीण आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें ;

(ग) परिषद् के आय–व्ययक का लेखा रखने की रीति ;

(घ) ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा परिषद् के अधिकारियों और सेवकों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना ;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा या उपधारा (2) के अधीन ग्रामीण आवास आयुक्त द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(च) किसी आवास योजना मे व्यवस्थित किये जाने वाले विषय ;

(छ) अधिकरण द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए परिषद् करार द्वारा भूमि का अर्जन और निस्तारण कर सकती है ;

(झ) कोई विषय जिसके लिये धारा 63 के अधीन परिषद् द्वारा विनियम बनाया जा सके ।

विनियम बनाने की शक्ति

63–(1) परिषद्, गजट में, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है :––

(क) समितियों की नियुक्ति, उनका गठन और प्रक्रिया ;

(ख) परिषद् और उसकी समितियों की बैठक का समय और स्थान और उनको बुलाने की रीति ;

(ग) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों का कर्तव्य ;

(घ) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ;

(ङ) निर्माण कार्यों के लिये योजनाएं और अनुमान तैयार करना ;

(च) बजट और अनुमान तैयार करना ;

(छ) वह प्राधिकार जिसके आधार पर परिषद् की निधि से धन दिया जा सकता है ;

(ज) सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की रीति ;

(झ) नोटिसों, बिलों और अन्य दस्तावेजों, पर ग्रामीण आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के प्रतिरूप की मुहर लगाना ;

(ञ) परिषद् द्वारा जारी किये गये दस्तावेजों, अनुमानों और योजनाओं की प्रतिलिपियों के लिये देय फीस ;

(ट) किसी आवास या सुधार योजना के अधीन निर्मित भवनों का प्रबन्ध, उपयोग और आवंटन ;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा की जाने वाली हो या की जाये ।

(2) यदि कोई विनियम इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रतिकूल हो तो वह नियम, चाहे वह विनियम के पूर्व बनाया गया हो या उसके पश्चात् अभिभावी होगा और विनियम प्रतिकूल होने की सीमा तक शून्य होगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

64–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, इस अधिनियम में किसी बात के होने के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के कारण प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के

अधीन रहते हुए, चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह किसी ऐसे दिनांक से जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का न हो, भूतलक्षी हो ;

(3) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं दिया जायगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट ऐसी कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

निरसन और अपवाद

65–किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें इस अधिनियम के अधीन कोई योजना प्रवृत्त हो, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 162 से 171 का, और उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962, उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 उन आवास या सुधार योजनाओं को छोड़कर जिन्हें या तो इस अध्यादेश के अधीन कोई योजना घोषित करने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन अधिसूचित किया गया हो या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अधिसूचित किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय या जिन्हें ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाय और उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 का प्रवर्तन निलम्बित रहेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमितियों का निरसन हो ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1955 की धारा 3 का संशोधन

66–उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था अधिनियम, 1955 में, धारा 3 में ––

(क) उपधारा (1) में, शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम 1983 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद्" रख दिए जायेंगे ।

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अधिनियम, 1983" बढ़ा दिए जायेंगे ।

निरसन तथा अपवाद

67–(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन इस कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।